



Water & Climate Resilience Programme (WACREP), India

Climate Change Adaptive Plan Village Nauner, Datia District, Bundelkhand Region, Madhya Pradesh

Activity No. 3.6.3: *Climate Adaptive Planning, Capacity building and Training Programs*



Development Alternatives
, TARA Crescent, Qutub Institutional Area
New Delhi, India
hbisht@deval.org; akumar3@deval.org

India Water Partnership (IWP)
Secretariat- WAPCOS Ltd.
76-C, Sector-18, Institutional Area, Gurgaon - 122015 (Haryana)
Tel. : (91-0124) 2348022 (D); (91-0124) 2399421, Extn : 1404
Email: iwpneer@gmail.com; veena@cwpi-india.org Web: www.cwp-india.org
Facebook: India Water Partnership

विषय – सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय – 1. गांव की आधारभूत जानकारियां	1–3
1.1 भौगोलिक अवस्थिति	
1.2 फिजीयोग्राफी	
1.3 प्रशासकिय एवं जनसांखिकीय विवरण	
1.4 मुलभूत सुविधायें	
1.5 मिटटी का प्रकार एवं टोपोग्राफी	
1.6 भू-स्वामीत्व एवं कृषि	
अध्याय – 2. पंचायत एवं अन्य सामूदायिक संस्थायें	4–7
अध्याय – 3. उपयोग की गई तकनीक एवं विधीया	8–14
3.1 वल्लरीबल्टी असेसमेन्ट	
3.2 विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक	
3.3 पंचायत के स्तर पर कोर ग्रुप का गठन	
3.4 औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठक	
3.5 कोरग्रुप सदस्यों का प्रषिक्षण	
3.6 सहभागी ग्रामीण समीक्षा	
3.7 योजना निर्माण	
अध्याय – 4 . ग्राम स्तरीय समस्याओं की पहचान, प्राथमीकीकरण एवं योजना निर्माण	15–30

अध्याय –1

आधारभूत जानकारीयों

1.1 भौगोलिक अवस्थिति

ग्राम नौनेर ग्राम पंचायत नौनेर का एक राजस्व गांव है। जिला एवं जनपद मुख्यालय दतिया से गांव लगभग 19 किलोमीटर की दुरी पर दक्षिण दिशा में दतिया –दिनारा –हथलई मार्ग पर अवस्थित है। नौनेर के उत्तर में काम्हर, दक्षिण में उदगवां, पूर्व में पलोथर तथा पश्चिम में बिलोनी है। गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1242.83 हेक्टेयर है।

1.2 फिजीयोग्राफी

नौनेर माइक्रोवाटरशेड को सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपोशीट क्रमांक 55K/6 (1/15000 स्केल) पर निर्दिष्ट किया गया है तथा माइक्रोवाटरशेड का कोड नं० 2c3c5h2 एवं 2c3c5h3 है। जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि की ढाल 1%–3% प्रतिशत तक है। गांव से एक मुख्य नाला गधार नाला निकलती है जो पास के गांव पलोथर से आती है। इस नाले की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है, गांव में इस नाले के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होता है। मुख्य नाला गधार नाला से एक और नाला निकलता है जिसे सूखा नाला कहते हैं।

1.3 प्रशासकिय एवं जनसांख्यिकीय विवरण

प्रशासकिय दृष्टिकोण से गांव कुल 20 वार्डों में विभाजीत है। गांव में निवासरत कुल परिवारों की संख्या 633 तथा जनसंख्या 3892 है जिसमें महिलाओं की संख्या 1593¼40%½ तथा पुरुषों की संख्या 2399¼60%½ है। गांव की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातिवर्ग की संख्या 1220¼30-63%½ अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 1300]पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 500 तथा अन्य जातिवर्ग की संख्या 1462 है। गांव में निवासरत कुल परिवारों में से 43.75% परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं।

1.4 मुलभूत सुविधायें

पेयजल

पेयजल का मुख्य स्रोत हैण्डपम्प है। गांव में कुल 17 हैण्डपम्प हैं जिसमें मात्र 5 हैण्डपम्पो में पानी की उपलब्धता सालोभर रहती है। राज्य शासन के द्वारा पेयजल की व्यवस्था हेतु नल-जल की व्यवस्था की गई थी लेकिन तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा है।

स्वास्थ्य

उप स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा गांव में उपलब्ध है। इस केन्द्र से बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टिकाकरण के साथ – साथ बीमार व्यक्तियों को चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

बैंक

गांव के लगभग 50 परिवारों का विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाया गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान हेतु लगभग 300 परिवारों का शासन द्वारा बैंक में खाता खुलवाया गया है। बैंक की सुविधा का उपयोग करने हेतु गांव के लोगों को दत्तिया जाना पड़ता है।

बिजली तथा सड़क

गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। गांव के बीच से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निकलती है जो बिलोनी की ओर जाती है। गांव की अधिकांश आन्तरिक गलियां सी.सी. (सीमेन्ट कांक्रिट) हैं, जिसका निर्माण विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत के द्वारा कराया गया है।

1.5 मिट्टी का प्रकार एवं टोपोग्राफी

गांव में उपलब्ध कुल भूमि का **67-40%** कृषि भूमि] **26-83%** अनुपजाऊ तथा **5-35%** चारागाह की भूमि है। गांव में उपलब्ध मिट्टी का प्रकार लैटराइट, काली तथा लाल है।

लैटराइट मिट्टी : गांव में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से **45-84%** लैटराइट मिट्टी है। इसमें मिट्टी की गहराई भी ज्यादा होती है। यह मिट्टी सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त होती है।

काली मिट्टी : नौनेर में इसकी प्रतिशतता **42-23%** है। इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है तथा पानी की अवशोषण क्षमता तथा गहराई अधिक होती है। यह मिट्टी मूंगफली, सोयाबीन, गेहूँ एवं सरसों आदि फसल के पैदावार के लिए उपयुक्त होती है।

लाल मिट्टी : गांव में उपलब्ध कृषि भूमि में **12-80%** लाल मिट्टी है। इस मिट्टी को हल्की मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मक्का, मसूर एवं गेहूँ आदि फसल की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है।

1.6 भू –स्वामीत्व एवं कृषि

गांव की औसत किसानों के पास 2-3 एकड़ के बीच जमीन है। गांव में रहने वाले कुल परिवारों में से **80%** परिवार किसान हैं जिसमें **27-66%** लघु कृषक] **31-62%** सीमान्त एवं मध्यम कृषक तथा **52-44%** बड़े कृषक हैं। गांव में कुल कृषि योग्य भूमि **837-67** हेक्टेयर है जिसमें **523-78** हेक्टेयर सिंचित तथा **313-89** हेक्टेयर असिंचित है। गांव में रहने वाले कुल परिवारों में से 80 % किसान हैं जिसमें 27.66 % लघु कृषक, 31.62 % सीमान्त

कृषक तथा 52.44 % बड़े कृषक हैं। 4 एकड़ से कम भूस्वामीत्व वाले किसानों को लघु कृषक, 5– 8 एकड़ भूस्वामीत्व वाले किसानों को सीमान्त कृषक तथा 8 एकड़ से अधिक भू-स्वामीत्व वाले किसानों को बड़े किसानों की श्रेणी में रखा गया। कृषि योग्य उपलब्ध कुल भूमि में से **811-18** हेक्टेयर पर रबी तथा **509-1** हेक्टेयर भूमि पर खरीफ के फसल की पैदावार ली जाती है। किसानों के द्वारा रबी में गेहूं, सरसो, चना तथा खरीफ में मक्का, उड़द, मूंग आदि की पैदावार ली जाती है। रबी के फसल की पैदावार अक्टूबर से मार्च तथा खरीफ की पैदावार जुलाई से सितम्बर माह तक ली जाती है।

अध्याय – 2

पंचायतीराज एवं अन्य समुदायिक संस्थाएँ

समुदाय आधारित संस्थाओं के रूप में गांव में 07 स्वयं सहायता समूह, 01 जलग्रहण समिति तथा 01 जल एवं स्वच्छता समिति है। स्वयं सहायता समूहों एवं जलग्रहण समिति का गठन एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है। जल एवं स्वच्छता समिति का गठन समुदाय के द्वारा नल-जल कार्यक्रम के संचालन हेतु किया गया है। वार्ड के विभाजन के आधार पर पंचायत कुल 20 वार्डों में विभाजीत है। पंचायत प्रतिनिधियों का सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है :

तालिका क्रमांक – 1

पंचायत प्रतिनिधियों का विवरण

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद	लिंग	जाति
1	श्रीमती विनोद राजे	सरपंच	महिला	परमार
2	श्री मोहन प्रसाद साहू	उपसरपंच	पुरुष	साहू
3	श्री मुकेश अहिरवार	पंच	पुरुष	अहिरवार
4	श्री राजकुमार साहू	पंच	पुरुष	साहू
5	श्रीमति धनीया	पंच	महिला	अहिरवार
6	श्री पंकज श्रीवास्तव	पंच	पुरुष	श्रीवास्तव
7	श्रीमति पिस्ता अहिरवार	पंच	महिला	अहिरवार
8	श्रीमति ऊषा परिहार	पंच	महिला	परिहार
9	श्रीमति मीना अहिरवार	पंच	महिला	अहिरवार
10	श्री देवेन्द्र सिंह परमार	पंच	पुरुष	ठाकुर
11	श्रीमति आरती सेन	पंच	महिला	नाई
12	श्रीमति प्रेमजु राजा	पंच	महिला	ठाकुर

13	श्री हरीओम पाण्डेय	पंच	पुरुष	ब्राहमण
14	श्रीमति मिथीला अहिरवार	पंच	महिला	अहिरवार
15	श्रीमति रामपुत्री अहिरवार	पंच	महिला	अहिरवार
16	श्री जगदीष अहिरवार	पंच	पुरुष	अहिरवार
17	श्रीमती किरण परमार	पंच	महिला	ठाकुर
18	श्रीमति कान्ती साहू	पंच	महिला	साहू
19.	श्रीमति राजकुमारी चौहान	पंच	महिला	ठाकुर
20	श्री जसवन्त कुषवाहा	पंच	पुरुष	कुषवाहा
21	श्री सरण मिश्रा	पंच	पुरुष	ब्राहमण

जलग्रहण समिति : राज्य शासन के सहयोग से डेवलपमेन्ट आल्टरनेटिव्स के द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय आधारित संस्थाओं का गठन,सषक्तिकरण तथा मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देना एवं स्थानीय पर्यावरण को संतुलित करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य योजना निर्माण,क्रियान्वयन तथा निगरानी में समुदाय की भागीदारी को सषक्त करना एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु जागरूक करना तथा पर्यावरण में हो रहे बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाना है।

ग्राम नौनेर में गठित की गई जलग्रहण समिति में कुल 20 सदस्य (10 महिला एवं 10 पुरुष) हैं जो मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के अन्तर्गत पंजीकृत है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समितियों का विभिन्न मुद्दों पर प्रषिक्षीत कर उनकी क्षमतावृद्धि की गई है। जलग्रहण समिति के सदस्यों का विवरण तालिका में निम्नलिखित है :

तालिका क्रमांक – 2

ग्राम नौनेर के जलग्रहण समिति का विवरण

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद	लिंग	जति	शिक्षा
1	श्री षैलेन्द्र नाथ पाण्डेय	टीम लीडर	पुरुष	ब्राहमण	पी. एच.डी
2	श्री छत्रपाल सिंह	अध्यक्ष	पुरुष	परमार	12 वीं

3	श्री राज प्रताप परमार	सचिव	पुरुष	परमार	बी.ए.
4	श्री धनेन्द्र सिंह	सदस्य	पुरुष	परमार	12 वीं
5	श्री महेन्द्र सिंह	सदस्य	पुरुष	परमार	5 वीं
6	श्रीमति आरती देवी	सदस्य	महिला	जोशी	5 वीं
7	श्रीमति रति बाई	सदस्य	महिला	कुशवाहा	निरक्षर
8	श्रीमति पार्वती बाई	सदस्य	महिला	हरिजन	निरक्षर
9	श्रीमति रामश्री	सदस्य	महिला	परिहार	साक्षर
10	श्रीमति कुसमा बाई	सदस्य	महिला	कुशवाहा	साक्षर
11	श्रीमति मंजु बाई	सदस्य	महिला	रजक	8 वीं
12	श्रीमति रेखा बाई	सदस्य	महिला	कुशवाहा	साक्षर
13	श्रीमति ममता	सदस्य	महिला	परिहार	साक्षर
14	श्री राम जी	सदस्य	पुरुष	अहिरवार	8 वीं
15	श्री मनीराम अहिरवार	सदस्य	पुरुष	अहिरवार	5 वीं
16	श्री राजकुमार	सदस्य	पुरुष	जोशी	8 वीं
17	श्री षिवदयाल	सदस्य	पुरुष	कुशवाहा	5 वीं
18	श्री राजाराम	सदस्य	पुरुष	पाल	5 वीं
19.	श्री रामचरण	सदस्य	महिला	अहिरवार	5 वीं
20.	श्री मुलायम	सदस्य	पुरुष	केवट	साक्षर
21.	श्री रामलाल	सदस्य	महिला	प्रजापति	10 वीं

स्वयं सहायता समूह : जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम नौनेर मे 07 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है जिसमे 02 महिलाओं का एवं 05 पुरुषों का है। इन समूहों के गठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर उन्हें विभिन्न आयवर्द्धक गतिविधियों से जोड़ना है।

गठित किये गये महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या 10-10 है। समूह के सदस्यों के द्वारा सिलाई एवं दूध डेयरी का काम किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित किये गये पुरुषों के द्वारा जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह, जय हरदौल, जय रतनगढ़ वाली माँ, जय शिवशक्ति एवं जय गंगा मईया समूहों का गठन किया गया है जिन्हें विभिन्न आयवर्धक गतिविधियों जैसे : बीज उत्पादन आदि से जोड़ा जाएगा।

अध्याय –3

उपयोग की गई तकनीक/विधियां

विकेन्द्रीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व अलग –अलग स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया गया। पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने में विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया गया जो निम्नलिखित है :

3.1 वल्नरबिलिटी असेसमेन्ट : जलवायु अनुकूल कार्ययोजना बनाने से पूर्व गांव/पंचायत

का वल्नरबिलिटी असेसमेन्ट किया गया। असेसमेन्ट की प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तथा स्थानीय जन-जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन किया गया। इस अभ्यास में पंचायत प्रतिनिधियों, जलग्रहण समिति के सदस्यों आदि को शामिल किया गया।

- 85% आबादी की आजीविका हेतु निर्भरता जलवायु संवेदनशील कृषि एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर है।
- मौसम में असमय होने वाले बदलावों/उतार-चढ़ाव (सूखा,ओलावृष्टि,अनियमित वर्षा तथा तापमान में उतार-चढ़ाव) के कारण भोजन,पानी और आजीविका की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।
- Madhya Pradesh State Plan on Climate Change द्वारा वन सूचकांक के आधार पर दतिया जिले की पहचान अतिसंवेदनशील जिले के रूप में की गई है। भारत सरकार के वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार जिले के कुल क्षेत्रफल का मात्र 5.835% क्षेत्र वन आच्छादित है।

3.2 विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक : गांव,पंचायत जनपद एवं जिले के स्तर पर विभिन्न

हितधारकों के साथ बैठक की गई। जनपद एवं जिलास्तरीय बैठक में शासन द्वारा संचालित योजनाएँ तथा उपलब्ध संसाधनों को समझने की कोषीष की गई। गांव एवं पंचायत के स्तर पर बैठक कर पंचायत द्वारा कार्ययोजना निर्माण की प्रक्रिया,समय-सीमा तथा उपलब्ध संसाधन पर समझ विकसीत की गई। इसके उपरान्त जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न



योजनाओं तथा उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

3.3 पंचायत के स्तर पर कोर ग्रुप का गठन : पंचायत प्रतिनिधि, जलग्रहण समिती तथा समुदाय के सदस्यों को मिलाकर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। कोर ग्रुप के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

- जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर संवेदनशील करना तथा जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों के न्यूनीकरण तथा अनुकूलन अभ्यासों को अपनाने हेतु जागरूक करना।
- स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों तथा उसके समाधान के तरीकों पर नियमित रूप से चर्चा करना।

3.4 औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठक : कोरग्रुप का गठन हो जाने के उपरान्त कोरग्रुप के

सदस्यों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों तथा उससे पड़ने वाले प्रभावों तथा समाधान के तरीकों को लेकर क्षमता वृद्धि की गई। कोर ग्रुप सदस्यों के द्वारा स्थानीय किसानों के साथ बैठक कर उनके साथ जलवायु परिवर्तन, इससे पड़ने वाले प्रभावों तथा प्रभाव को कम करने वाले तरीकों को लेकर चर्चा की गई।



3.5 कोरग्रुप सदस्यों का प्रशिक्षण :


कोर ग्रुप का गठन हो जाने के उपरान्त सदस्यों का जलवायु परिवर्तन तथा इससे पड़ने वाले प्रभावों एवं विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के साथ उनके जुड़ाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से कोर ग्रुप सदस्यों का क्षमता वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव तथा प्रभाव को कम करने के तरीकों को लेकर जागरूक करना था जिससे वो गांव के स्तर पर इन समस्याओं तथा उसके समाधान को लेकर चर्चा कर सकें तथा पंचायत के द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना के साथ उन्हें जोड़ सकें।

3.6 सहभागी ग्रामीण समीक्षा : जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व स्थानीय स्थितियों को समझने हेतु पी.आर.ए. की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया गया जो निम्नलिखित है:

- सामाजिक मानचित्र
- संसाधन मानचित्र
- ऋतु आधारित चित्रण
- सेवा सुविधा मानचित्र
- चपाती चित्रण

3.6.1 सामाजिक मानचित्र

स्थानीय समुदाय की भागीदारी से गांव का मानचित्र तैयार किया गया। मानचित्र के माध्यम से गांव की बसाहट, कच्ची-पक्की सड़के, धरों का प्रकार, मन्दिर, चौपाल, स्कूल, दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र आदि को रंखंकित किया गया। सामाजिक मानचित्र के आधार पर गांव कुल 10 मोहल्लों (हरिजन बस्ती, साहू मोहल्ला, पण्डित मोहल्ला, दिवान मोहल्ला, राजपुत मोहल्ला आदि) में बँटा हुआ है, लेकिन सभी जाति वर्ग के लोग सभी मोहल्ले में रहते हैं। सामाजिक मानचित्र की प्रक्रिया के दौरान या अवलोकित किया गया कि जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है। गांव में निवासरत अधिकांश परिवारों का धर कच्चा है। पंचायत के द्वारा गांव की अधिकांश गलियों में सी.सी.सड़क का निर्माण कराया गया है। मानचित्र बनाने की प्रक्रिया के दौरान या अवलोकित किया गया कि गांव की



सामाजिक संरचना एवं पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही शासकीय योजनाओं को लेकर महिलाओं के बीच जानकारी का अभाव है।

3.6.2 संसाधन मानचित्र

संसाधन मानचित्र की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि गांव में लगभग 500 कुएँ हैं जिनका उपयोग किसानों के द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है। पेयजल हेतु 17 हैण्डपम्प हैं जिनमें मात्र 5 हैण्डपम्पों में पानी की उपलब्धता सालो भर रहती है। मानचित्र की प्रक्रिया के दौरान कुछ किसानों के द्वारा यह बताया गया कि हैण्डपम्प की पानी की गुणवत्ता में भी बदलाव हो रहा है तथा कुछ हैण्डपम्पों के पानी में खारापन आ रहा है। किसानों के द्वारा बताया गया कि पी.एच.ई.डी. द्वारा पेयजल हेतु नल-जल की व्यवस्था की गई थी लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वह चालु स्थिति में नहीं हैं। गांव के लोगों के अनुसार पंचायत द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत स्टॉप डेम तथा किसानों के खेतों पर कुपों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 स्टॉप डेम, 06 बेस्ट बियर, 03 लूज बोल्टर, 01 गेबीयन तथा मेड़ बंधान का कार्य कराया गया है। किसानों के अनुसार जल संरक्षण एवं संवर्धन की संरचनाओं का निर्माण होने के उपरान्त कुओं के जलस्तर में वृद्धि हुई है। जिन कुओं में पहले पानी की उपलब्धता साल में 6 महीने तक रहती है अब उन कुओं में पानी की उपलब्धता 9-10 महीने तक रहती है। गांव में उपलब्ध खेतों में मिट्टी का प्रकार लैटराइट, काली तथा लाल है।

संसाधन मानचित्र की प्रक्रिया के दौरान यह अवलोकित किया गया कि गांव में उपलब्ध संसाधनों के बारे में महिलाओं की जानकारी बहुत ही कम है तथा संसाधनों के उपयोग के तरीकों से संबंधित निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर होती है।

3.6.3 ऋतु आधारित चित्रण :


इस अभ्यास के माध्यम से खेती-किसानी की प्रक्रिया एवं समय, पानी की उपलब्धता, मौसम में हो रहे परिवर्तनों के कारण होने वाली बिमारीयों, जीविकोपार्जन हेतु मजदूरी तथा पलायन आदि को समझने का प्रयास किया गया। मौसमी मानचित्रण की प्रक्रिया के दौरान निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :

फसल उत्पादन :

चर्चा के दौरान किसानों के द्वारा बताया गया कि साल में रबी एवं खरीफ की पैदावार ली जाती है। रबी में मुख्यतः गेहूँ, चना एवं सरसों तथा खरीफ में सोयाबीन, उड़द तथा मूँगफली की खेती की जाती है। रबी के फसल की पैदावार का समय अक्टूबर से फरवरी तथा खरीफ के फसल के पैदावार का समय अप्रैल से सितम्बर तक होता है। अभ्यास के दौरान लोगों के द्वारा बताया गया कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद खरीफ में धान एवं सोयाबीन की फसल की पैदावार की शुरुआत की गई है।

पानी की उपलब्धता : सिंचाई हेतु कुओं में पानी की उपलब्धता अगस्त से नवम्बर माह तक पर्याप्त रहती है। जनवरी से मार्च तक कुओं में पानी की उपलब्धता कम होने लगती है जबकि

मई एवं जून माह में अधिकांश कुओं में पानी की उपलब्धता नहीं के बराबर रहती है। इस स्थिति में किसानों को परेषानियों का



सामना करना पड़ता है।

बिमारियों :

बदलते मौसम में सर्दी, बुखार, मलेरिया आदि बिमारियों का सामना करना पड़ता है जबकि बरसात के मौसम में जानवरों को खुरपका एवं मुहपका तथा नवम्बर एवं दिसम्बर माह में गलघोट्टु की बिमारीयों होती है। अभ्यास की प्रक्रिया में शामिल लोगों का कहना था कि लोगों का कहना था कि मौसम में असमय हो रहे बदलाव तथा खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोगों के कारण त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों का कहना था कि भूजल स्तर में हो रहे गिरावट के कारण हैण्डपम्पों एवं कुओं के जलस्तर में गिरावट हो रहा है जिसके कारण लोगों को जल जनित बीमारीयों जैसे: दस्त, पीलिया आदि बिमारीयों का सामना करना पड़ता है।

चारा एवं ईंधन की उपलब्धता :

अगस्त से सितम्बर माह तक तथा जनवरी एवं फरवरी माह में हरे चारे की उपलब्धता रहती है इसके बाद धीरे – धीरे कम होने लगती है। अप्रैल से लेकर जुलाई माह तक हरे चारे की उपलब्धता नहीं के बराबर रहती है। इस दौरान जानवरों को गेहूँ का भूसा आदि चारे के रूप में दिया जाता है। जबकि ईंधन की उपलब्धता अप्रैल से जुलाई माह तक रहती है। इस दौरान गांव के लोगों द्वारा बारीष के मौसम के लिए भी ईंधन संग्रह कर रखा जाता है। ईंधन के रूप में लकड़ी तथा गोबर के उपले का उपयोग किया जाता है तथा ईंधन एकत्रित करने की पूर्ण


जिम्मेवारी महिलाओं की होती है। ईंधन हेतु लकड़ी के लिए गांव वालों की पूर्णतः निर्भरता जंगलों पर है लेकिन दिन-प्रतिदिन जंगलों की हो रही कटाई के कारण महिलाओं को लकड़ी इकठ्ठा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभ्यास के दौरान महिलाओं के द्वारा कहा गया कि पेड़-पौधों की नियमित कटाई से गर्मी भी अत्यधिक पड़ने लगी है।

मजदूरी :

नवम्बर एवं दिसम्बर तथा फरवरी से 15 अप्रैल तक खेती-किसानी के कार्यों और जनवरी से मई माह तक पंचायत एवं जलग्रहण समिति द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में गांव में काम मिल जाता है। गांव के कुछ लोगों के द्वारा दतिया एवं आस-पास के जिलों में जाकर अकुषल श्रमिक के रूप में काम किया जाता है।

3.6.4 सेवा सुविधा मानचित्र

आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान तथा डाकघर की सुविधा गांव में उपलब्ध है। बैंक, तहसील कार्यालय, पशु चिकित्सालय, हाट बाजार तथा बस स्टैण्ड आदि सेवा का उपयोग करने के लिए गांव के लोगों को जिला मुख्यालय दतिया आना




पड़ता है जिसकी दुरी गाँव से लगभग 12 किलोमीटर है। अभ्यास के दौरान यह समझ में आया कि अधिकांश सुविधाओं हेतु गांव के लोगों की निर्भरता जिला मुख्यालय दतिया पर है जिसके लिए गांव के लोगों को औसतन 12 किलोमीटर की दुरी तय करनी पड़ती है।

3-6-5 pikrh fp=.k

इस अभ्यास के माध्यम से गांव में उपलब्ध सामूदायिक संस्थाएँ एवं शासकीय निकायों, उनके बीच जुड़ाव तथा गांव के साथ उनके संबंधों को समझने का प्रयास किया गया। गांव के लोगों के अनुसार पंचायत एवं जलग्रहण समिति का संस्थात्मक संबंध एवं जुड़ाव ही अच्छा है। इसके पीछे गांव के लोगों का तर्क था कि दोनों संस्थाओं के द्वारा गांव के विकास तथा खेती-किसानी से संबंधित मुद्दों जैसे : मिटटी, पानी आदि तथा आजीविका से संबंधित गतिविधियों पर कार्य किया जाता है। स्वयं सहायता समूहका जलग्रहण समिति, आंगनबाड़ी एवं

उपस्वास्थ्य केन्द्र के साथ संबंध अच्छे हैं। इसको लेकर महिलाओं के द्वारा तर्क दिया गया कि जलग्रहण समिति द्वारा आजीविका एवं समूह की गतिविधियों में हयोग प्रदान किया जाता है जबकि आंगनबाड़ी एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र से महिलाओं को पोषण आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्रदान की जाती है।



विद्यालय का सभी संस्थाओं एवं गांव के साथ अच्छे संबंध हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों द्वारा गांव के लोगों को सलाह-मशवरा भी दिया जाता है।

3.7 योजना निर्माण :

विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करने के उपरान्त गांव के लोगों के साथ मिलकर जलवायु अनुकूल सूक्ष्मस्तरीय योजना तैयार की गई। योजना निर्माण की प्रक्रिया में पंचायत प्रतिनिधियों, जलग्रहण समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा किसानों ने भाग लिया। योजना निर्माण की प्रक्रिया में अलग – अलग समूदाय के सदस्यों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से मुद्दों की पहचान तथा उसके समाधान के तरीकों को लेकर बात-चीत की गई।



अध्याय – 4

ग्राम स्तरीय समस्याओं की पहचान, प्राथमीकीकरण एवं योजना निर्माण

1.1 समस्याओं की पहचान :

पंचायत प्रतिनिधियों एवं कोर ग्रुप सदस्यों की उपस्थिति में गाँव की समस्याओं की पहचान की गई। चर्चा के दौरान गाँव के लोगों के द्वारा चिन्हीत किये जा रहे मुद्दों का समुदाय के साथ मिलकर उसका विषलेषण किया गया। चर्चा के दौरान समुदाय की ओर से निम्नलिखित समस्याएं निकल कर सामने आईं :

- ❖ नियमित रूप से खेतों से मिट्टी का कटाव ।
- ❖ सिंचाई हेतु पर्याप्त साधनों का अभाव ।
- ❖ खेतों की उर्वरा शक्ति का कम होना ।
- ❖ रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग ।
- ❖ खेती हेतु उत्तम किस्म के बीजों का अभाव ।
- ❖ फसल के बचे हुए अवशेषों को खेतों में जलाना ।
- ❖ खुले में शौच करना ।
- ❖ जल निकासी हेतु नालियों का अभाव ।
- ❖ कचड़े को खुले में डालना ।
- ❖ पेड़ – पौधों की संख्या में नियमित रूप से हो रही कमी ।
- ❖ भूजल का बढ़ता हुआ दबाव
- ❖ पशुधन में नियमित रूप से कमी ।
- ❖ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में बाऊण्डी वाल का निर्माण ।
- ❖ हरिजन बस्ती एवं धोबीया मोहल्ला में सामूदायिक भवन का निर्माण ।
- ❖ जामुन एवं कुड़न के घाट पर रपटा निर्माण ।

1.2 पहचान की गई समस्याओं का कलस्टरीकरण :

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया के दौरान चिन्हीत किये गये मुद्दों का समुदाय के साथ मिलकर कलस्टीकरण किया गया। चिन्हीत की गई समस्याओं को कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का

प्रबंधन (जल,जंगल एवं जमीन),स्वच्छता एवं अन्य मुद्दों में विभाजीत किया गया। इसके उपरान्त स्थानीय समुदाय के सहयोग से कलस्टरों का प्राथमिकीकरण किया गया। प्राथमिकता के आधार पर समस्याएं निम्नलिखित हैं –

क्रम संख्या	कलस्टर	मुद्दे	प्राथमिकीकरण के लिए गांव वालों के द्वारा दिए गए तर्क
1	प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> • खेतों से मिट्टी का कटाव । • भूजल स्तर में हो रही कमी एवं सिंचाई हेतु पर्याप्त साधनों का अभाव । • पेड़ – पौधों की संख्या में नियमित रूप से हो रही कमी । • पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन । 	इस कलस्टर में मिट्टी का कटाव, भूजल स्तर में हो रही कमी, पेड़-पौधों की संख्या में हो रही कमी तथा पानी की गुणवत्ता में हो रहे परिवर्तन को शामिल किया गया। इन समस्याओं को पहले स्थान पर रखने के पीछे गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि ये समस्याएँ लोगों के आम जीवन से जुड़ी हुई हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीविकोपार्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।
2	कृषि	<ul style="list-style-type: none"> • खेतों की उर्वरा शक्ति का कम होना । • रासायनिक उर्वरकों का प्रचुर मात्रा में उपयोग । • खेती हेतु उत्तम किस्म के बीजों का अभाव । • रबी फसल के बचे हुए भागों को खेतों में जलाना । 	प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे दूसरे स्थान पर रखा गया। इस कलस्टर में खेतों की उर्वरा शक्ति का कम होना, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, अच्छे किस्म के बीज का अभाव तथा फसल के अवशेषों को खेतों में जलाना आदि समस्याओं को शामिल किया गया। इन समस्याओं को दूसरे स्थान पर रखने के पीछे लोगों का तर्क यह था कि ये सभी समस्याएँ खेती-किसानी से जुड़ी हुई हैं जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन हैं।
3	स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> • खुले में शौच करना । • कचड़े को खुले में डालना । 	प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान इन समस्याओं को तीसरे स्थान पर रखा गया। इस कलस्टर में खुले में शौच करना तथा

			<p>कचड़े को खुले में डालने की समस्या को रखा गया। जिसके पीछे यह तर्क दिया गया कि यह स्वास्थ्य एवं स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है जो लोगों के आम जन-जीवन से जुड़ी हुई है। चर्चा के दौरान शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत परिवारों में शौचालय निर्माण तथा कुड़ा फेकने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर नाडेप निर्माण की बात की गई।</p>
4	अन्य मुद्दें	<ul style="list-style-type: none"> ● देशी नस्ल के पशु एवं उन्हें खुले में छोड़ना। ● माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में बाऊण्ट्री वाल का निर्माण। ● हरिजन बस्ती एवं धोबीया मोहल्ला में सामूदायिक भवन का निर्माण। ● जामुन एवं कुडन के धाट पर रपटा निर्माण। 	<p>इन मुद्दों को अन्य मुद्दों वाले कलस्टर में रखा गया। इस कलस्टर में देशी नस्ल के पशु पशुओं को खुले में चराना, विद्यालय में बाऊण्ट्री वाल का अभाव, हरिजन एवं धोबीया मोहल्ला में सामूदायिक बस्ती का निर्माण तथा जामुन एवं कुडन के धाट पर रपटा का निर्माण कार्य रखा गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए गांव के लोगों के द्वारा यह कहा गया कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत पशुओं के नस्ल सुधार पर जोर दिया गया है। अतः शासन के सहयोग से देशी किस्म के गायों एवं भैंसों का नस्ल सुधार कर जानवरों को उत्पादक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि ये समस्याएँ भी गांव के विकास से संबंधित हैं अतः इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।</p>

प्राकृतिक संसाधन (जल,जंगल एवं जमीन)

जल संसाधन के रूप में गांव में लगभग 500 कुयें (सिंचाई हेतु किसानों के खेतों पर), 05 स्टॉप डेम, 06 बेस्ट बीयर, 06 तालाब (03 शासकीय तथा 03 व्यक्तिगत) हैं। गांव के कुल क्षेत्रफल का 67.40% कृषि भूमि (62.53% सिंचित तथा 37.47% असिंचित), 26.83% अनुपजाऊ भूमि तथा 5.35% राजस्व भूमि है। गांव में उपलब्ध मिट्टी में 45.84% लैटेराइट, 42.23% काली तथा 12.80% लाल मिट्टी है तथा

भूमि का ढाल 1-3% के बीच है। नियमित रूप से बारीष के दिनों में हो रही कमी भू-जल स्तर में गिरावट एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है जिसके फलस्वरूप पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता पर भी असर पड़ रहा है तथा जल जनित बिमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारीष के पानी के तेज बहाव के कारण खेतों से मिट्टी का कटाव जिसके फलस्वरूप खेतों की मिट्टी की गहराई का कम होना एक गंभीर

भूमि का उपयोग	रकबा (हेक्टेयर में)
भौगोलिक क्षेत्रफल	1243.83
कृषि भूमि	837.67
सिंचित भूमि	523.78
असिंचित भूमि	313.89
अनुपजाऊ भूमि	333.56
राजस्व भूमि	71.6

समस्या बनती जा रही है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खेतों की उत्पादकता पर असर डालने के साथ-साथ जीविकोपार्जन को भी प्रभावित कर रहा है। शासकीय एवं निजी भूमि पर पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रही है। ये सभी परिस्थितियाँ मौसम में हो रहे असमय बदलावों से पड़ने वाले प्रभावों की विभीषकता को बढ़ापे में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

चर्चा के दौरान गांव के लोगों के द्वारा कहा गया कि इन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों के द्वारा कहा गया कि इन मुद्दों पर एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है लेकिन जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने हेतु और भी सकेन्द्रित प्रयास करने की आवश्यकता है। चर्चा के दौरान कहा गया कि अधिक से अधिक किसानों के खेतों पर मेड़ बंधान का कार्य किया जाना चाहिए जिससे खेतों से मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त गांव से बहकर जाने वाली बारीष के पानी को रोकने हेतु अधिक से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी तथा खेतों में नमी बनी रहेगी। चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिन्दु सामने आये :

क्रम संख्या	क्षेत्र	मुद्दे	उपाय
1.	जमीन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ खेत ढालु होने के कारण खेतों से मिट्टी का कटाव। ❖ खेतों की उपजाऊ शक्ति का कम होना। ❖ किसानों के द्वारा रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी। ❖ दिन – प्रतिदिन मिट्टी का क्षारीय होना। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ खेतों पर मेड़ बंधान एवं कृषि –वानिकी को बढ़ावा देना। ❖ मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जलधारण क्षमता एवं कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने हेतु जैविक खाद बनाने एवं उपयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना। ❖ हरी खाद का प्रयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना।
2.	जल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कुओं के जलस्तर में गिरावट। ❖ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का अभाव। ❖ कुओं के पानी के स्वाद में परिवर्तन। ❖ हैंडपम्प के पानी का खारा होना। ❖ नालों में मिट्टी का भराव। ❖ जल प्रबंधन को लेकर जागरूकता का अभाव। ❖ खेत गांव से दूर होने के कारण सिंचाई की परंपरागत पद्धतियों का उपयोग। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की संरचनाओं का निर्माण तथा परंपरागत गतिविधियों को बढ़ावा देना। ❖ पंचायत के साथ मिलकर पूर्व में निर्मित जल संरक्षण एवं संवर्धन की संरचनाओं का मरम्मत तथा उसकी साफ-सफाई पर ध्यान देना। ❖ खेतों पर फार्म पौण्ड का निर्माण करना। ❖ नालों की मिट्टी की सफाई करवाना जिससे ज्यादा पानी का भराव हो सके। ❖ जल प्रबंधन के आधुनिक तकनीकों को लेकर किसानों को जागरूक करना।
3	जंगल	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पेड़-पौधों की कटाई। ❖ वृक्षारोपण को लेकर जागरूकता का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से शासकीय एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक करना। ❖ खेतों के मेड़ों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।

प्रस्तावित कार्ययोजना

1. मेड़ बंधान

क्रम संख्या	प्रस्तावित हितग्राही का नाम	पिता का नाम	प्रस्तावित कार्य	योजना के साथ जुड़ाव
1	तुलाराम	मटटू	मेड़ बंधान	महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत पंचायत के द्वारा
2	राकेश	रघुनाथ		
3	मनोहर	धन्नु		
4	पनमेष्वरीदास	हसराम		
5	सुम्मा	गनेषा		
6	बालकिषन	हरदा		
7	प्रकाश	पुन्ना		
8	लालाराम	कल्लू		
9	मुथ्थी	पुन्ना		
10	पंचु	दिस्सू		
11	बनमाली	बैजनाथ		एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटरषेड समिति के द्वारा
12	ओमकार	रधुवरदयाल		
13	आनन्द कुमार	सियाषरण		
14	मुन्नालाल	रधुवरदयाल		
15	रमेशचन्द्र साहु	बैजनाथ साहु		
16	चन्द्रभान सिंह	जयदेव सिंह		
17	हरदेव सिंह	दुर्जन सिंह		
18	धनकुईया	बनसईया		

2. स्टेगार्ड एवं कन्टूर निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	योजना के साथ जुड़ाव
1	स्टेगार्ड एवं कन्टूर निर्माण	साकिर धाम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की उपयोजन

2	स्टेगार्ड निर्माण कन्टूर निर्माण	पहाड़ी के पास	भूमि षिल्प के साथ जोड़कर प्रस्तावित कार्य को संपादित कराना।
---	----------------------------------	---------------	---

3. जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	योजना के साथ जुड़ाव
1	स्टाप डेम निर्माण	उदगवा घाट	5.00	महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत पंचायत के माध्यम से।
2	स्टाप डेम निर्माण	डाफरी घाट	5.00	
3	स्टाप डेम निर्माण	कुन्डी घाट	5.00	
4	तालाब निर्माण		5.00	
5	पुराने तालाब की मरम्मत एवं गहरीकरण	पठारी रोड के पास	5.00	
6	स्टॉप डेम निर्माण	काली माता मंदीर के पास	4.48	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति के माध्यम से प्रस्तावित कार्य का क्रियान्वयन।
7	स्टॉप डेम निर्माण	ओमकार लिटोरीया के खेत के पास	4.47	
8	स्टॉप डेम निर्माण	प्रीतम,रामस्वरूप के खेत के पास।	4.66	
9	स्टॉप डेम निर्माण	रमाकान्त,जानकी के खेत के पास।	4.83	
10	स्टॉप डेम निर्माण	बब्बु मोनी के खेत के पास।	4.95	
11	बेस्ट वियर निर्माण	जाउन सिंह के खेत के पास	1.46	
12	बेस्ट वियर निर्माण	चन्द्र मोहन,जय सिंह के खेत के पास।	1.87	
13	बेस्ट वियर निर्माण	धन कुईया के खेत	1.87	

		के पास		
14	बेस्ट वियर निर्माण	जगदीष प्रसाद के खेत के पास।	1.46	
15	बेस्ट वियर निर्माण	अरबेन्द्र सिंह के खेत के पास।	1.96	
16	बेस्ट वियर निर्माण	काले कुंवर स्थान के पीछे।	2.00	
17	बेस्ट वियर निर्माण	बादई की ओर	1.75	
18	बेस्ट वियर निर्माण	केलुआ की ओर	2.00	
19	बेस्ट वियर निर्माण	लहोरीया की ओर	2.00	
20	गरहार नाला का गहरीकरण	नले की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है जो पलोथर, उदगवों की सीमा सं बिलोनी, रेव तक जाती है।		महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत पंचायत के माध्यम से।

4. गेबीयन संरचना का निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	योजना के साथ जुड़ाव
1	गेबीयन निर्माण	दयालू के खेत के पास	0.50 लाख	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण समिति के द्वारा।
2	गेबीयन निर्माण	राम, छदामी लाल के खेत के पास	0.50 लाख	
3	गेबीयन निर्माण	दयाल आदिवासी के जमीन के पास	0.50 लाख	
4	गेबीयन निर्माण	खेतराम के खेत के पास	0.50 लाख	

5. वृक्षारोपण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित स्थल	कार्य की अनुमानित लागत	योजना के साथ जुड़ाव
1	वृक्षारोपण	नौनेर के सड़क से काम्हर तक।	3.00 लाख	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की वन्या उपयोगना के अन्तर्गत पंचायत के माध्यम से कार्य का क्रियान्वयन।
2	वृक्षारोपण	पलोथर से नौनेर सड़क तक।	3.00 लाख	
3	वृक्षारोपण	पहाड़ी के पास	5.00 लाख	

कृषि

नौनेर की 80% आबादी की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि आधारित मजदूरी है। ऐसा देखने में आ रहा है कि मौसम में अचानक हो रहे बदलावों से कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जिसके फलस्वरूप बीजों की बुवाई तथा फसलों के पकने के समय में परिवर्तन हो रहा है जो उत्पादकता के साथ – साथ किसानों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है।

बारीष में हो रही देरी, असमय बारीष, सूखा, तापमान का अचानक बढ़ जाना आदि खेती-किसानी के नियोजन के कार्य में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं जिस कारण कृषि क्षेत्र काफी संवेदनशील होता जा रहा है। इस परिदृश्य में यह आवश्यक है कि खेती-किसानी में जलवायु अनुकूल अभ्यासों/जलवायु अनुकूल कार्ययोजना तैयार की जाए जिससे जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए किसानों के साथ खेती-किसानी के मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें निम्नलिखित बिन्दु सामने आये:

क्रम संख्या	समस्याएँ	वर्तमान स्थिति	उपचार
1.	चने की फसल में बिमारी लगना।	<ul style="list-style-type: none"> देशी बीज का उपयोग (4-5 वर्ष तक)। एक ही खेत में लम्बे समय से चने की खेती करना। 	<ul style="list-style-type: none"> किसानों को प्रमाणित बीजों का उपयोग करने हेतु जागरूक करना तथा फसल परिवर्तन को बढ़ावा देना।
2.	दिन-प्रतिदिन फसल के उत्पादन में हो रही कमी।	<ul style="list-style-type: none"> किसानों के द्वारा परंपरागत कृषि अभ्यासों के द्वारा खेती किया जाना। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग। सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी का 	<ul style="list-style-type: none"> मिट्टी का परीक्षण। फसलों के अवशेषों की खेतों में जुताई करने हेतु किसानों को जागरूक करना। खरीफ एवं रबी के प्रमुख फसलों के बीज को तैयार करने हेतु प्रदर्शन

		<p>अभाव (फरवरी के अंतिम सप्ताह से)।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● फसलों के अवशेषों को खेतों में जलाना। ● असमय मौसम में हो रहे परिवर्तन। 	<p>तथा गांव के स्तर पर बीज बैंक की शुरुआत करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हरी खाद के रूप में दलहनी फसलों का उपयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना तथा अन्तर फसल के रूप में दलहनी फसल लेना। ● एस.आर.आई/एस.डब्ल्यू.आई. विधी का उपयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना। ● खरीफ एवं रबी में कम अवधी वाले फसल की प्रजातियों को बढ़ावा देना। ● कृषि वानिकी एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। ● छोटे कृषि यंत्रों के उपयोग करने हेतु किसानों को जागरूक करना तथा सिंचाई के आधुनिक तकनीकों (स्प्रिंकलर, रीज एण्ड फॉरो, रेनगन आदि) को लेकर जागरूक करना।
3	नकदी फसलों की खेती नहीं होना।	<ul style="list-style-type: none"> ● किसानों के द्वारा वर्ष में मात्र दो फसल (खरीफ एवं रबी) की पैदावार ली जाती है। ● नकदी फसलों के पैदावार को लेकर जागरूकता/तकनीकों का अभाव। ● अन्ना प्रथा (गर्मी के दिनों में जानवरों को खुला छोड़ना।) 	<ul style="list-style-type: none"> ● किसानों का तीसरी फसल (खरीफ में सब्जी, मूँग, उड़द) की फसल की पैदावार लेने हेतु प्रोत्साहित करना। ● तकनीकों की जानकारी – शेडनेट, पाली हाऊस आदि को बढ़ावा देना। ● सब्जी उत्पादन के सधन तकनीकों का बढ़ावा देना।

पेयजल एवं स्वच्छता

पेयजल हेतु गांव के लोगों के द्वारा हैण्डपम्प का उपयोग किया जाता है। चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों का कहना था कि गर्मी के दिनों में हैण्डपम्पों में पानी की उपलब्धता कम होने लगती है, तथा पानी की गुणवत्ता में भी परिवर्तन हो रहा है। अतः हैण्डपम्पों की पानी की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए तथा हैण्डपम्प के पास साफ-सफाई की जानी चाहिए। गांव के लगभग 90% परिवारों के द्वारा खुले में शौच तथा खुले में कुड़ा फेंका जाता है। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये सभी चीजे स्थानीय पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। इन समस्याओं को लेकर गांव के लोगों का कहना था कि शासकीय योजनाओं के सहयोग से व्यक्तिगत शौचालयों तथा कुड़ा फकने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर नाडेप का निर्माण कराया जाना चाहिए इनकार्यों में गांव के लोगों के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बदलते मौसम, वर्षा में होने वाली अनियमितता, तापमान में वृद्धि एवं सुखे जैसी स्थितियों में स्वास्थ्य और स्वच्छता का खास ध्यान देना चाहिए। मौसम में हो रहे बदलावों के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली बिमारीयों के कारण स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इन स्थितियों में विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि गांव/पंचायत के स्तर पर तैयार की जा रही जलवायु अनुकूल कार्ययोजना में पेयजल एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से शौचालय निर्माण हेतु हितग्राहीयों तथा नाडेप बनाने हेतु स्थान चिन्हीत किये गये जो निम्नलिखित हैं :

शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित हितग्राहीयों की सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावित हितग्राही का नाम	पिता का नाम	प्रस्तावित कार्य	योजना के साथ जुड़ाव
1	कमलेश	वंशी	व्यक्तिगत परिवारों में शौचालय निर्माण	महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना एवं निर्मल भारत अभियान के समन्वय से।
2	पंचू	रघुनी		
3	घनश्याम	देवालाल		
4	मातादीन	रामचरन		
50	भगवान सिंह	देवीसिंह		
51	देवीदयाल	भरत		
52	रामकुमार	अन्ते		
53	मोहन	दयाराम		
54	रामकुमारी	डब्बू		
55	बालकिशन	धन्नु		
56	नजारा	निलाय		
57	रतीराम	सरमन		
58	बादाम	धनसिंह		
59	सीताराम	अन्ते		
60	मातादीन	श्यामलाल		

61	सिया	सुगता		
62	कैलाश	रामसेवक		
63	बल्ली	भजनलाल		
64	रामकिशन	घोघू		
64	लच्छूराम	प्रसाद		
66	राधेश्याम	बैजनाथ		
67	गब्बर सिंह	रामसेवक		
68	किशनलाल	जगन्नाथ		
69	राकेश	रघुनाथ		
70	जसोदा	पंचू		
71	रामपाल	सूबा		
72	विद्या	मुन्नालाल		
73	विनोद	बैजनाथ		
74	रामकिशन	दिवारीलाल		
75	जसरथ	तिजू		
76	परसादी	पत्तू		
77	पनमेश्वरीदास /	हस्राय		
78	प्रकाश	नाथूराम		
79	राजाबेटी	थोमी		
80	सावित्री	प्रेमी		
81	भग्गू	गिरधारी		
82	मातादीन	काशीराम		
83	लालसिंह	मोहन		
84	मुजीम	लालखां		
85	बैजनाथ	/ घन्नु		

86	भग्गू	कमतू		
87	मूलचन्द	धन्नू		
88	संजू	हरदास		
89	हल्के	रामप्रसाद सिंह		
90	रामकिशोर	गज्जू		
91	विमला	सरोद		
92	दुर्गिया	धनीराम		
93	बलराम	किशनलाल		
94	मुलायम	रघुवीर सिंह		
5	रामलाल	सोपली		
6	शम्भूदयाल	दयाराम		
7	शिवदयाल	परशुराम		
8	मुन्नालाल	भरतू		
9	मानसिंह	बालसिंह		
10	प्रकाश	मकुन्दी		
11	गयाप्रसाद	देशराज		
12	राजाराम	घंसू		
13	राजकुमार	छोटेला		
14	मुलायम	/द्वारका		
15	प्रभु	गोविन्दी		
16	धमेन्द्र सिंह	जुगरामसिंह		
17	रामकुमार			
18	रतीराम	परशराम		
19	राजकुमार	शालिकराम		
20	शंकरलाल	पहलवान		

21	मोनीराजा	उदयभानसिंह		
22	पहारसिंह	गोविन्द सिंह		
23	कल्लो	मुकेश		
24	हीरालाल	जग्गू		
25	घसीटा	पन्नू		
26	नारायण	हरदास		
27	मोहन	चतुरे		
28	किशोरी	गोरा		
29	जालिम	मख्खू		
30	तुलाराम	मट्टू		
31	गोवरन	बैजनाथ		
32	गोपाल	बैजनाथ		
33	मट्टू	मन्नी		
34	जगदीश	मथ्थी		
35	वनमाली	मोदी		
36	मुकेश	श्यामलाल		
37	वनमाली	ढिल्ले		
38	धनीराम	रामदीन		
39	पूरन	हरन		
40	धर्मेन्द्र	भूरेलाल		
41	मालिक	मथ्थी		
42	मनीराम	लालाराम		
43	बबूला	घंसू		
44	अशोक	जमुना		
45	मुकेश	भगवानदास		

46	छोटेलाल	वंशी		
47	रमेश	रज्जू		
48	आनंदी	धन्नू		
49	शिवदयाल	सुन्नू		
95	बल्देव	कम्मू		
96	लछमन	लालाराम		
97	सदाराम	दुर्जन		
98	मुन्ना	धन्नू		
99	मनीराम	भूरे		
100	रामकिशन	गोरेलाल		
101	खड़कलाल	बाबूलाल		
102	भरत	जुग्गा		
103	घनश्याम	गम्भीर		
104	गयाप्रसाद	देशराज		

नाडेप निर्माण

क्रम संख्या	प्रस्तावित जगह	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	शासकीय योजनाओं के साथ जुड़ाव
1	बड़कुआँ के आगे तिराहे पर	0.08	पंचायत के अन्तर्गत पंच परमेश्वर एवं कृषि विभाग की योजना के सहयोग से।
2	बाबा की पहाड़ी पर	0.08	
3	विजय ताल कान्छे के पास	0.08	
4	भुजरईया के ताल के पास	0.08	
5	कुमरगढ़ा के पास	0.08	
6	बरहार मोहल्ला के पास	0.08	

अन्य मुद्दे :

देशी नस्ल के पशु तथा उन्हें खुले में छोड़ना, विधालय में बाउण्ड्री वाल का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा रपटा निर्माण का कार्य अन्य मुद्दों में शामिल किया गया। इन समस्याओं को चिन्हीत करते समय गांव के लोगों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि ये मुद्दे भी गांव के विकास के लिए जरूरी है। किसानों का कहना था कि अगर देशी नस्ल के गायों का नस्ल परिवर्तन कर उन्हें उत्पादक परिसंप्ती के रूप में तैयार कर आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। चर्चा के दौरान चिन्हीत किये मुद्दे तालिका में निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	प्रस्तावित जगह	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	शासकीय योजनाओं के साथ जुड़ाव
रपटा निर्माण			
1	जामुन के धाट पर	5.00	महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत पंचायत के सहयोग से।
2	कुड़न के धाट पर	5.00	
बाउण्ड्री वाल का निर्माण			
3	माध्यमिक विधालय में बाउण्ड्री वाल	5.00	शिक्षा विभाग के द्वारा
4	उच्च विधालय में बाउण्ड्री वाल	5.00	
सामुदायिक भवन का निर्माण			
5	हरिजन बस्ती में सामुदायिक भवन का निर्माण	5.00	विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत के माध्यम से।
6	धोबीया मोहलला में सामुदायिक भवन का निर्माण	5.00	
	कुल	30.00	
